भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. एएआई/जेवीसी/आरटीआई/2025/1738 दिनांक: 21.08.2025

मोहतरमा संजुना खातून

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदया,

कृपया आपके आरटीआई पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/25/01270 दिनांक 01/08/2025 का संदर्भ लें, जो इस कार्यालय को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए दिनांक 01/08/2025 को प्राप्त हुई थी।

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी और उसका उत्तर इस प्रकार है:

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>मांगी गई जानकारी</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या AAI द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई है? यदि हाँ, तो कृपया अधिकृत विवरण (रिपोर्ट/रिकॉर्ड/प्रेस टिप्पणी) प्रदान की जाए।</td><td rowspan="8">मुंबई हवाई अड्डे के लिए मांगी गई जानकारी एमआईएएल (जो कि तृतीय पक्ष है), से निकटता रखती है या उसके कार्यों से संबंधित है।

अतः, आरटीआई अनुरोध को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) के मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी (सीएओ) को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस कार्यालय को सूचित करते हुए, आवेदक को अपेक्षित जानकारी सीधे उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या वह IndiGo का यात्री था?</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IndiGo अथवा Mumbai Airport Authorities द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? कृपया विस्तृत विवरण दें (जैसे प्रतिबंध, जुर्माना, रिपोर्ट आदि)।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या CISF/एयरपोर्ट पुलिस मौके पर उपस्थित थी? यदि हाँ, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की?</td></tr>
<tr><td>5</td><td>क्या इस घटना को लेकर कोई FIR दर्ज की गई? यदि हाँ:
• FIR किस थाने में दर्ज की गई
• FIR संख्या,
• तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी दें।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>इस घटना से यात्रियों को हुई असुविधा के संदर्भ में IndiGo अथवा AAI द्वारा क्या सहायता (सूचना, मुआवजा आदि) दी गई?</td></tr>
<tr><td>7</td><td>भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचाव हेतु AAI एवं IndiGo द्वारा कौन-से सुरक्षा प्रबंधन उपाय लागू किए गए हैं?</td></tr>
<tr><td>8</td><td>यदि उपरोक्त किसी भी बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो कृपया स्पष्ट करें कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कृपया बिंदुवार कारण प्रदान करें।</td></tr>
</table>

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan
सफदरजंग, हवाई अड्डा नई दिल्ली–110003
Safdarjung Airport, New Delhi-110003
दूरभाष : 24632950
Phone : 24632950

यदि आवेदक उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वे आरटीआई अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत श्री एल. कुप्पुलिंगम, कार्यकारी निदेशक (पीपीपी/जेवीसी), प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), संयुक्त उद्यम सेल, सी-ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 को अपील दायर कर सकते हैं।

(ए. प्रकाश)
महाप्रबंधक
संयुक्त उद्यम प्रकोष्ठ / सीपीआईओ

प्रतिलिपि:

1. मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल-1, सांताक्रूज़ पूर्व, मुंबई-400099 - अनुरोध है कि आवश्यक जानकारी सीधे आरटीआई आवेदक को उपलब्ध कराई जाए। आपके संदर्भ के लिए आरटीआई आवेदन की एक प्रति संलग्न है।